

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 96 : Authority for advance ruling

Subject to the provisions of this Chapter, for the purposes of this Act, the Authority for advance ruling constituted under the provisions of a State Goods and Services Tax Act or Union Territory Goods and Services Tax Act shall be deemed to be the Authority for advance ruling in respect of that State or Union territory.

धारा 96 : अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण

इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या किसी संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण को उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण समझा जाएगा।
